संख्या–1330/XVI(1)/09/5(128)/04/26(1)/2000

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:1 देहरादून:दिनांक, 22 दिसम्बर,2009

विषय–चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में "सी"ग्रेड माल्टा तथा गैंदा पुष्प कय किये जाने हेतु समर्थन मूल्य का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है,कि उत्तराखण्ड के माल्टा उत्पादक क्षेत्रों/चयनित जनपदों के कृषकों/उद्यानपतियों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान किये जाने तथा आगामी कुम्भ मेला–2010 के आयोजन अवधि में गैंदा पुष्प की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुष्प उत्पादकों को प्रोत्साहित किये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में "सी"ग्रेड माल्टा का समर्थन मूल्य रू0–6.00 (रू0 छः मात्र) प्रति किग्रा0 तथा गैंदा पुष्प का समर्थन मूल्य रू0–10.00 (रू0 दस मात्र) प्रति किग्रा0 निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– उक्तानुसार "सी" ग्रेड माल्टा कय किये जाने की कार्यवाही पूर्ववर्ती दिशा निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।

2– योजनान्तर्गत "सी" ग्रेड माल्टा फलों का कय जनपद पिथौरागढ़,चम्पावत,अल्मोड़ा, बागेश्वर,रूद्रप्रयाग,पौड़ी एवं चमोली के अन्तर्गत किया जायेगा।

3– फलों का कय/विकय फूड फैडरेशन हल्द्वानी,नैनीताल के द्वारा **"लाभ–हानि रहित सिद्धान्त"** के आधार पर सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत स्थापित निकटस्थ उद्यान सचल दल केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा।

4– कय किये जाने वाले "सी" ग्रेड माल्टा फल का आकार न्यूनतम 40 मि0मी0 व्यास का हो, तथा रंग संतरे जैसे गहरा नारंगी हो साथ ही फल गला, कटा–फटा एवं सड़ा न हो व डण्ठल साफ कटी होनी चाहिए।

5– सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपार्जित किये जाने वाले माल्टा फलों का विपणन राज्य के भीतर तथा बाहर स्थापित प्रसंस्करण इकाईयों एवं मण्डियों में विकय किया जायेगा।

6– कार्यदायी संस्था को फलों के कय–विकय हेतु निहित सभी ओवर हैड व्ययों (Overhead Expenses) हेतु रू0–130.00 प्रति कुन्तल अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो नियमानुसार अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त और कोई व्यय अनुमन्य नही होगा।

7– फलों के उपार्जन हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा चयनित जनपदों मे निम्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार कय/संग्रह केन्द्र स्थापित किये जायेंगे :–

जनपद का नाम	प्रस्तावित कय/संग्रह केन्द्र
अल्मोडा	गरूड़ाबाज,द्वाराहाट,शीतलाखेत,लमगड़ा, जौरासी।
बागेश्वर	शामा,कपकोट,कांडा,गरूड़,बागेश्वर, कौसानी।
पिथौरागढ़	मूनाकोट,कनालीछीना,गंगोलीहाट,मडमानले,नाचनी,बेरीनाग,पिथौरागढ़, डीडीहाट,मुनस्यारी।

..2/-

चम्पावत	मंच, चम्पावत, किमतोली,लोहाघाट, बाराकोट, खेतीखान।
रूद्रप्रयाग	गुप्तकाशी,ऊखीमठ, अगस्तमुनी, मयाली, रूद्रप्रयाग।
पौड़ी	पौड़ी,पाबो,कोट।
चमोली	मण्डल, पीपलकोटी,सितौढा, घाट, पोखरी, विषालखाल, रडुवा, चांदनीखाल, बछूवाबाण,गैरसैंण, कर्णप्रयाग,नौटी, आदि बद्री, थराली, देवाल, ल्वाणी।

8–कार्यदायी संस्था संग्रह केन्द्रों की संख्या व स्थान माल्टा फलों की उपलब्धता के अनुसार घटा–बढा सकती है।

9–यह योजना केवल फल उत्पादक कास्तकारों के लिए लागू होगी, ठेकेदार व बिचौलिये इस योजना में आच्छादित नहीं होंगें। यह सुनिश्चित करना कार्यदायी संस्थाओं तथा सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व होगा,कि केवल फल उत्पादकों से ही उपार्जन/कय किया जाये।

10–फल उत्पादकों को भुगतान एकाउन्ट पेई चैंक या बैंक एड्वाइस के माध्यम से किया जायेगा।

11–तुडाई उपरान्त फलों में वाष्पीकरण एवं श्वसन किया के परिणामस्वरूप बजन में कमी आती है, अतः वजन में आने वाली कमी को ध्यान में रखते हुए कय के समय तौल में 02 प्रतिशत अधिक वजन लिया जायेगा।

12–निदेशक,उद्यान,कार्यदायी संस्था तथा चयनित जनपदों के जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

13–कार्यद्रायी संस्था द्वारा चयनित स्थानों पर अस्थाई रूप से कय/संग्रह केन्द्रों की मूलभूत व्यवस्थायें एवं कार्मिकों की तैनाती समयबद्ध रूप से कर ली जायेगी।

14–इस कार्य में सहयोग हेतु कार्यदायी संस्था को सम्बन्धित जिले के जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा निकटस्थ उद्यान सचल दल केन्द्र पर कार्यरत् कार्मिक उपलब्ध कराये जायेंगें।

15–फलों के उपार्जन का कार्य दिनांक–31 जनवरी,2010 तक किया जायेगा।

16–कार्यदायी संस्था द्वारा फलों के विकय से प्राप्त आय को उद्यान विभाग के राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

17–उक्तानुसार निर्धारित समर्थन मूल्य पर गैंदा पुष्प कय किये जाने तथा कयित पुष्प के विकय हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण करते हुए विस्तृत प्रस्ताव निदेशक,उद्यान के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

18–उक्त योजना के संचालन में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभागीय आय–व्ययक अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–0113–बाजार हस्तक्षेप योजना का कियान्वयन–50–सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि, जो कि पूर्व में ही आपके निवर्तन पर रखी जा चुकी है, के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–1330/XVI(1)/09/5(128)/04/26(1)/2000,तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक,फूट फैडरेशन, हल्द्वानी,नैनीताल को इस आशय से कि, कृपया योजनान्तर्गत चयनित जनपदों में "सी" ग्रेड माल्टा की उपलब्धता को देखते हुए माल्टा

...3/–

क्रय हेतु औचित्यपूर्ण धनराशि की मॉग का प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर निदेशक, उद्यान को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– **जिला उद्यान अधिकारी**, अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत/रूद्रप्रयाग/पौड़ी/चमोली।

3– उप **निदेशक,उद्यान**,गढवाल मण्डल,पौडी/कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।

4– वित्त **अनुभाग–4**,उत्तराखण्ड शासन।

5– **महालेखाकार उत्तराखण्ड**,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।

6– **आयुक्त**, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।

7– **जिलाधिकारी**,अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत/रूद्रप्रयाग/पौड़ी/चमोली।

8– **निदेशक,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र**,सचिवालय परिसर,देहरादून।

9– **प्रभारी**, मीडिया सेंन्टर, सचिवालय परिसर।

10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0एस0पाण्डे)
अपर सचिव।